उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,

बी–912 सेक्टर "सी,"महानगर, लखनऊ।
Email:monitor.hq.upsfdc@gmail.com
Website: WWW.upsfdc.in

पत्रांक– 132 /वी0सी0/अनु0मु0/2022–23 दिनॉक: 20/04/2022

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/
पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम,
जनपद–आगरा, अलीगढ़, मेरठ, झॉसी, बॉदा, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन (गोण्डा) मुरादाबाद, बस्ती, मिर्जापुर सहारनपुर तथा (चिन्हित स्वच्छकार जनपद) ।

विषयः–अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु वर्ष 2022–23 में बैकिंग सुविधा प्रदाता योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश एवं कार्य योजना।

महोदय,

अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से शिक्षित युवक/युवतियों हेतु बैकिग सुविधा प्रदाता योजना निगम द्वारा संचालित की जा रही है। **"बैकिग सुविधा प्रदाता योजनान्तर्गत (व्यवसाय संवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर"** बनाने की इस योजना में निगम द्वारा यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेन्ट लि0 **(मार्गदर्शी संस्था)** के सहयोग से चयनित अभ्यर्थियों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिलाकर संचालित की जायेगी, इस योजना में ऋण ग्रहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक संसाधन (यथा–फर्नीचर, एक कम्प्यूटर, फिगंर प्रिन्ट मशीन तथा इनवर्टर आदि) की व्यवस्था मार्गदर्शी संस्था के सहयोग से निगम द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता (अनुदान, मार्जिन ऋण तथा ब्याज मुक्त ऋण) से करना होगा।

बैकिंग सेवा प्रदाता योजना की गतिविधियॉः–

व्यवसाय सवाददाता राष्ट्रीयकृत बैकों के अधिकृत एजेण्ट के रूप में कार्य करेगें। इस हेतु संम्बन्धित बैंक द्वारा बिजनेस करेसपोन्डेन्ट से रू0–15,000/– की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा की जायेगी। जमा धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यवसाय संवाददाता द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंको में बचत खाता आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, आई0डी0कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा जमा करना, निकालना, आनॅलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिग सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जायेगी। रिजर्व बैंक अनिवार्य पात्रता मापदण्डों को पूरा करने के लिए विषय बीसी/बीसीए को रिकवरी एजेंण्ट के रूप में लगाया जायेगा और प्रत्येक शाखा द्वारा सर्विस प्रोवाइडर/बिजनेस करेसपोन्डेन्ट से अलग समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है।

2–पात्रताः–

1– अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।
2– गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करता हो।
3– उ0प्र0 का स्थायी निवासी हो।
4– किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो।
5– शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट तथा कम्प्यूटर का ज्ञान हो। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

Scanned by CamScanner

3–योजना की लागत तथा लक्ष्यः–

योजना की लागत रू0–1.00 लाख निर्धारित है, जिसमें रू0 10,000/– अनुदान रू0–25.000/– मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा रू0–65.000/– ब्याज मुक्त ऋण है। योजना के प्रथम चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों के शहरी एवं विकसित न्याय पंचायतों में 500 यूवक/यूवतियों को इस नई योजना से आच्छादित किया जायेगा। निर्धारित 500 के लक्ष्य में उन जनपदों में जहॉ एम0एस0एक्ट 2013 लागू होने के बाद स्वच्छकार चिन्हित हुये है उन जनपदो हेतु 100 स्वच्छकार एवं उनके आश्रित परिवार से आच्छादित किया जायेगा।

कार्य योजना के अनुसार जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति निम्नवत की जायेगीः–

(i) आगामी 100 दिवसों में जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत ।

(ii) 6 माह में जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत।

(iii) 1 वर्ष में जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत।

4–चयन प्रक्रियाः–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमे निम्न सदस्य होगेंः–

1–मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2–जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम	सदस्य
3–उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र/लीड बैंक ऑफीसर	सदस्य
4–सहायक प्रबन्धक, अनुगम	सदस्य सचिव

लाभार्थी चयन में विशेषकर यह ध्यान रखा जायेगा कि वह व्यवसाय करने के इच्छुक हों तथा ऋण की अदायगी समय पर कर सकें। निगम की कौशलवृद्वि प्रशिक्षण योजना अथवा कौशल विकास मिशन के माध्यम से कम्प्यूटर संचालन में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायें। लाभार्थी के चयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जायें।

5–योजना का क्रियान्वयनः–

योजना का क्रियान्वयन में जनपद द्वारा निम्न कार्य करने होगेंः–

1– बैंकिग सुविधा प्रदाता योजनान्तर्गत लाभार्थी के चयन के उपरान्त वह जिस बैंक का बैकिंग करेसपोन्डेन्ट (बी0सी0) होगा उस बैंक में उसका एक बचत खाता होना आवश्यक होगा।

2– बी0सी0 जो सामान क्रय करेगा उसका स्व–प्रमाणित बिल जिला प्रबन्धक अनुगम कार्यालय में उपलब्ध करायेगा, जिसे उसकी ऋण पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा।

3– यदि बी0सी0 कार्य करना बन्द करता है, तो उसके द्वारा सिक्योरिटी के रूप में जमा धनराशि को बैक निगम को हस्तान्तरित करेगा ताकि उससे ऋण खाता समायोजित किया जा सके।

4– मार्गदर्शी संस्था के रूप में यूपिको को मुख्यालय द्वारा नामित किया गया है। यूपिको द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंको के करेस्पोण्डेन्ट बनायें जाने हेतु सहयोग किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

6–मार्गदर्शी संस्था का उत्तरदायित्वः–

1– जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला प्रबन्धक अनुगम से प्राप्त कर मार्गदर्शी संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

2– राष्ट्रीयकृत बैंक/स्पान्सरिंग बैंक निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षत अभ्यर्थियों को सम्बन्धित बैंको से इम्पैनल करवाते हुये बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय सवाददाता)/ बिजनेस फैसीलिटेटर के रूप में कार्य प्रारम्भ कराया जाना।

3– ऋण प्राप्त होते ही प्रशिक्षित अभ्यर्थियों जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक स्पान्सरिंग बैंक द्वारा बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय सवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर के रूप में इम्पैनल किया गया है उन्हें निर्धारित बजट अन्तर्गत हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा अन्य सामाग्रियॉ क्रय करने में सहयोग प्रदान किया जाना।

4– राष्ट्रीयकृत बैंक/स्पान्सरिंग बैंक द्वारा इम्पैनल्ड बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय सवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर की कार्य–प्रणाली का प्रबन्धन तथा अनुश्रवण किया जाना।

5– नियमित रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर विभाग को प्रेषित किया जाना।

6– चयनित बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय सवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर से निगम द्वारा स्वीकृत ऋण की वसूली कराने हेतु निरन्तर जागरूक/प्रेरित किया जाना।

7– ऋण गृहीता/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वीकृत ऋण से उपलब्ध करवायी गयी सामग्रियों की रिपोर्ट तैयार कर फोटोग्राफ सहित निगम को प्रेषित किया जाना।

6–ऋण अदायगीः–

ऋण वितरण के एक माह के पश्चात् परियोजना लागत के आधार पर 36 समान मासिक किश्तों में वसूली की जायेगी। निर्धारित समयावधि में ऋण गृहीता द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी न करने पर ऋण गृहीता से अवशेष ऋण पर 04 प्रतिशत संग्रह शुल्क लिया जायेगा। छः माह की अवधि में बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय संवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर को अपने व्यवसाय को सुदृढ़ करते हुये ऋण की अदायगी योग्य बनाना होगा। बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय सवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर का निरन्तर अनुश्रवण जिला प्रबन्धक, अनुगम द्वारा किया जाना होगा।

7–वसूलीः–

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोडकर अन्य समस्त मामलों में ऋण एन0पी0ए0/दुरूपयोग होने की दशा में ऋण की वसूली की जायेगी। लाभार्थी चयन में पूर्ण सतर्कता एवं पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

अतएव उपरोक्त दिशा—निर्देश के अनुसार निर्धारित लक्ष्यानुसार लाभार्थी का चयन कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर ऋण स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थीवार सूची मुख्य विकास अधिकारी से अनुमोदित कराकर धनावंटन हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निगम मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चयन में यदि किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। परियोजनाओं के लिये वांछित धनराशि निगम द्वारा जनपद से प्राप्त सूची के आधार पर जनपद को आंवटित की जायेगी। निगम मुख्यालय के पत्र सं0—2117/2019—20/योजना दिनांक—13.12.2019 द्वारा अनुबन्ध पत्र, दृष्टिबंधक पत्र, गारन्टी विलेख, परिसम्पत्ति प्रदान करने का संतोषजनक प्रमाण पत्र एवं धनराशि की मांग का प्रारूप पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त कार्य योजना मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतएव इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी।

संलग्नकः यथोक्त—

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
प्रबन्ध निदेशक।

पृष्ठांकन सं0— /तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, (चिन्हित स्वच्छकार जनपद) उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 उ0प्र0।
2— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण।
3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद उ0प्र0।
4— समस्त जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद उ0प्र0।
5— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेन्ट लि0,(यूपिको) यूनिट नं0—A—708, 709 सप्तम तल रोहतास सम्मिट विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
6— प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उ0प्र0।

(अचिन्त मणि भारती)
महाप्रबन्धक।

Scanned by CamScanner